कार्यालय नगर परिषद, श्रीगंगानगर (राज0)

क्रमांक :– 07 दिनांक :– 22-04-2022

THE NOBLE SCHOLAR ACADEMY
4Y KALIYAN, HINDUMALKOT
ROAD - SRI GANGANAGAR (RAJ.)

....

विषय :– अग्निशमन अनापत्ति जारी करने बाबत।

आपके भवन THE NOBLE SCHOLAR ACADEMY .... का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थापित अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाये गये। अतः निम्न शर्तो पर पाबन्द करते हुए अग्निशमन अनापति जारी किया जाता है :–

1. यह अनापति जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार मांकड्रील करवानी होगी जिसका रिकार्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. अग्निशमन उपकरण को हमेशा चालू स्थिति में रखना होगा।
4. निरीक्षण दौरान दिये आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यशील अवस्था में नही पाये जाने पर यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जावेगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालना करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके। इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लैडर व दो रस्सा भवन के सभी फ्लोर में फ्लोर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. भवन में धुंआ निकासी के लिये उचित व्यवस्था करनी होगी।
13. यह अनापति अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा। भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एंव इस बाबत आवेदक स्वंय उतरदायी होगा।
14. भवन का निर्माण भवन प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के अनुसार होना चाहिये। भवन विनियम की पूर्ण पालना की जानी होगी। किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण होने पर उक्त अनापति पर शून्य या प्रभावहीन/निरस्त माना जावेगा।

उपरोक्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करनी होगी। शर्तो की पालना नहीं करने पर यह अनापति पत्र निरस्त/शून्य माना जावेगा।

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद श्रीगंगानगर

अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन विभाग
श्रीगंगानगर